कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश।
17,न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।
Email-2012.jtcclko@gmail.com

पत्रांक कै/1072/वि /विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक 10/09/,2020

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिलें, उ.प्र.।

विषयः—गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिंग के माध्यम से इन—सीटू के उपयोग के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्याः कै/495/विकास अनुभाग दिनांक 26.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा निर्गत निर्देशों में इंगित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फसल अवशेष जलाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गयी है और फसल अवशेष जलाना कानूनी अपराध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कड़ा रूख अपनाते हुए पराली/फसल अवशेष जलाये जाने पर जुर्माना लगाये जाने का भी प्राविधान किया गया है। वर्तमान में प्रदूषण एक भयंकर समस्या बनकर खड़ी हो गयी है, जिसका कृषि उत्पादन के साथ—साथ मानव जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अतः विभिन्न स्तरों पर इसे नियंत्रण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि इसकी विभीषिका से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि सरकारी गजट, उ.प्र. के आदेश संख्या—2845/55—पर्या./15—99 (पर्या.)—13 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 द्वारा निर्देश दिये गये है कि फसलों के कटाई के उपरान्त बचे अवशेष को जलाये जाने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, के क्रम में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या—14, सन 1981) की धारा 19 की उप धारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उ.प्र. राज्य में उक्त बचे हुए फसल अवशेष को जलाया जाना प्रतिषिद्ध किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या—21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य एवं ओ.ए.स. —118/2013 विक्रान्त तोगड़ बनाम यूनियन आफ इझिडया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10.11.2016 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 23.11.2016 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त स.—35/2016/3544/55—पर्या.—2016—09 (रिट)/2016 दिनांक 28 नवम्बर, 2016 में

स्पष्ट निर्देश है कि फसल अपशिष्ट जलाने वाले दोषी व्यक्ति के विरूद्ध निम्न दरों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड वसूला जायेगाः–

1. कृषि भूमि का क्षेत्रफल 02 एकड़ से कम होने की दशा में अर्थदण्ड रु.2500/–प्रति घटना।
2. कृषि भूमि का क्षेत्र 02 एकड़ से अधिक किन्तु 05 एकड़ तक होने की दशा में अर्थदण्ड रु.5000/–प्रति घटना।
3. कृषि भूमि का क्षेत्र 05 एकड़ से अधिक होने की दशा में अर्थदण्ड रु.15,000/–प्रति घटना।

परन्तु उचित होगा कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय यदि उचित प्रबन्धन कर दिया जाय तो मृदा को पुनः पोषक तत्व फसल अवशेष के माध्यम से वापस प्राप्त हो जाते है। अतः फसल अवशेष का प्रबन्धन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाय जिससे दण्ड की स्थिति ही न उत्पन्न होः–

ट्रैंश मल्वर का प्रयोगः–

- ट्रैंश मल्वर के माध्यम से गन्ने की पत्तियों को छोटे–छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। यह डिवाईस पेड़ी प्रबन्धन के लिए अत्यन्त उपयोगी है।
- पेड़ी प्रबंधन के अन्तर्गत दो पंक्तियों के बीच मे पत्तियों की मल्चिंग करना अत्यन्त लाभ दायक है इससे खेत की नमी सुरक्षित रहती है।
- पत्ती बिछाने से खर पतवार कम निकलते है।
- ट्रैंश मल्चिंग के रूप में उपयोग हो ने वाली सूखी पत्तियां कुछ समय के बाद खाद में बदल जाती हैं।
- इन पत्तियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश व कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जोकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं।
- मल्चिंग विधि अपनाने से किसान की जमीन की भौतिक व जैविक दशा में भी सुधार होता है।
- इस तरह से मल्चिंग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और जल धारण क्षमता के साथ ही पैदावार में भी इजाफा होता है।
- यह खरपतवार के नियंत्रण व पानी की बचत में सहायक है। मई और जून के महीने में कम सिंचाई की जरूरत होती है।

रैटून मैनेजमेन्ट डिवाईस (आर.एम.डी.)

- रैटून मैनेजमेंट डिवाइस से ठूंठों की कटाई, जड़ों की छटाई, खाद व दवा डालने जैसे कई कार्य एक साथ किये जा सकते है।

- पेड़ी प्रबंन्धन के अन्तर्गत आर.एम.डी. के प्रयोग हेतु किसानों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय के आदेश संख्या–1047/सी./समिति दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा गन्ना खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। जिसके अन्तर्गत ट्रैश मल्चर एवं रैटून मैनेजमेन्ट डिवाईस की व्यवस्था की गयी है। अतः इनके व्यापक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 126 गन्ना समितियों के लिए ट्रैश मल्चर एवं अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्रों हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। अतः रणनीति बनाकर जिले में ट्रैश मल्चर एवं अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्रों का प्रयोग कराते हुए यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी फसल अवशेषों को जलाये जाने की घटना घटित न हों।

यह भी आवश्यक है कि कृषकों को फसल अवशेष को जलाने से होने वाले नुकसान से भी परिचित कराया जाय जिससे कृषक जागरूक हो करके फसल अवशेषों के जलाने के बजाय उसका सदुपयोग मल्चिंग/जैविक खाद बनाने में करें।

फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसानः–

- प्रति एकड़ 400 किलोग्राम लाभकारी कार्बन जलकर नष्ट हो जाता है।
- नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश व सल्फर जैसे बेहद जरूरी पोषक तत्त्व जल कर नष्ट हो जाते हैं।
- प्रति ग्राम मिट्टी में मौजूद 10–40 करोड़ लाभकारी बैक्टीरिया और 1–2 लाख लाभकारी फफूंद नष्ट हो जाते है।
- जब खेत में आग लगाई जाती है, तो खेत की मिट्टी उसी तरह जलती है जैसे ईंट भट्ठे की ईंट जलती है. खेत का तापमान बढ़ने से उस में पाए जाने वाले लाभकारी जीव जैसे–राइजोबियम, अजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ब्लू ग्रीन एल्गी और पीएसबी जीवाणु जल कर नष्ट हो जाते हैं इसके अलावा लाभदायक फफूंद, ट्राइकोडर्मा, जैविक कीटनाशी, विबैरिया बैसियाना, वैसिलस थिरूनजनेसिस और किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुए आग से जल कर नष्ट हो जाते हैं।
- फसल अवशेष जलने से पैदा होने वाले कार्बन से वायु प्रदूषित होती है, जिसका इन्सानों व पशुपक्षियों पर बुरा असर पड़ता है।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र मे कम से कम 10 ट्रैश मल्चर की व्यवस्था एवं उपयोग चीनी मिल एवं विभाग के सहयोग से सुनिश्चित किया जाय। कृषक गन्ने की सूखी पत्तियों को न जलाये तथा सूखी

पत्तियों से जैविक खाद बनाये इसके लिए कृषकों को अधिकाधिक जागरूक किया जाय साथ ही साथ ट्रैंश मल्चिंग एवं रैटून मैनेजमेन्ट डिवाईस (आर.एम.डी.) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाय। इस हेतु गोष्ठी/कृषक मेला, पम्पलेट, दैनिक समाचार पत्रों, वाल पेन्टिंग, दूरदर्शन आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार करते हुए अधिक से अधिक कृषकों को गन्ने की सूखी पत्तियों को न जलाने की जानकारी दें। ताकि फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लग सकें।

साथ ही ट्रैंश मल्चर की उपलब्धता एवं उपयोग के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना पाक्षिक रूप से इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।

पत्रांक Gm/1072/सी   तद्दिनांकः 10/08/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ/राज्य चीनी निगम, उ.प्र. लखनऊ ।
2. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, सहकारी चीनी मिल संघ/राज्य चीनी निगम।
3. समस्त ज्ये.ग.वि.नि./सचिव, उ.प्र. को पालनार्थ।

(आर.पी.यादव)
अपर गन्ना आयुक्त(विकास)